न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल बिश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 40/2024
3. उनवान : 1. बीरबल पुत्र भगवाना उर्फ भगवान सहाय
2. तीजा देवी पुत्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय
3. गोपाली देवी पुत्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय
4. मंजू देवी पुत्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय
5. राधा देवी पत्नी भगवान सहाय उर्फ भगवान सहाय
6. सुनीता देवी पुत्री भगवान सहाय उर्फ भगवान सहाय
7. चन्दी देवी बेवा रूघा
8. जमनाराम पुत्र ईसरा
9. उदाराम पुत्र ईसरा
10. प्रभाती देवी पुत्री ईसरा
11. कमली देवी पुत्री ईसरा
12. भंवरी देवी पुत्री ईसरा
13. मूली देवी पुत्री ईसरा
14. रूकमा देवी पुत्री ईसरा
15. रामेश्वर लाल पुत्र छोटू
16. रामदेव पुत्र छोटू
17. सुन्दर लाल पुत्र छोटू
18. बिरदी पुत्री छोटू
19. चन्द्री पुत्र हनुमान
20. लाखा उर्फ लिखमा पुत्र हनुमान
21. श्रवण पुत्र हनुमान
22. सिणगारी देवी पत्नी किशना
23. शिवराम पुत्र किशना
24. भागचन्द पुत्र किशना
25. बनवारी पुत्र किशना
26. ज्यानकी देवी पुत्री किशना
27. झिमकू देवी पुत्री किशना
28. जैसा पुत्र दूला
29. भाना पुत्र दूला
30. सुशीला देवी पुत्री ईसरा

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गदडी तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 23/6/25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी एवं श्री गोपाल लाल बाना अपीलांट की ओर से।
ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पेश की गई है कि राजस्व ग्राम गदडी, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 237, 236 जो राजस्व जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज रही। खसरा नंबर 237 संवत 2008 से 2029 की खतौनी बन्दोबस्त में कॉलम नम्बर 3 में माफी घीसा वल्द हरबक्श सा० देह तुर्कयावास दर्ज है। कॉलम नम्बर 4 में शंकर लाल, छीतर पिता लक्ष्मीनारायण वगै० दर्ज है तथा कॉलम नम्बर 5 में डूंगा वल्द भुरा जाट दर्ज है, जो मौके पर तत्समय पूर्व से काबिज काश्त रहे। डूंगा वल्द भुरा जाट के फौत होने पर विरासत से अपीलान्ट संख्या 1 लगा० 7 के पूर्वज भगवाना, रुघा पिता डूंगा काबिज काश्त रहे तथा धन्ना व पन्ना पुत्रान डूंगा द्वारा अपने भाई भगवाना व रुघा पुत्रान डूंगा के हक में अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1978 को करने पर उपरोक्त आराजी के एकमात्र खातेदार भगवाना उर्फ भगवान सहाय व रूघा पुत्र डूंगा रहे तथा इनके फौत होने पर अपीलान्ट सं० 1 लगायत 7 निरन्तर काबिज काश्त रहे। संवत 2057 से 2060 में उक्त आराजीयात माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी वाके तुर्कयावास के नाम दर्ज कर दी गई। संवत 2008 से 2029 की खतौनी के कॉलम सं० 5 में डूंगा वल्द भूरा के नाम अंकित थी। जिसको दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ने क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 451 दिनांक 28/7/2004 को माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज सा.देह के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 451 आदेश दिनांक 28/7/2004 को अपास्त किया जावें।

अपील के संलग्न अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 451 दि० 28/07/2004, नामा० सं० 89, 106, 382, 396 जमाबन्दी संवत 2008–2029, 2032–2064, 2073–2076 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2013–2016, 2033–2036 व 2080 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पत्र क्रमांक 5690 दिनांक 06/12/2024 द्वारा जवाब अपील पेश किया जिसमें अंकित है कि ग्राम गदडी की मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में खाता संख्या 24 आराजी खसरा नं० 236 रकबा 3 बीघा के कॉलम संख्या 3 में माफी भोग मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास व अहतमाम पुजारी घनश्याम (मुत्वफी) व कॉलम संख्या 5 में मंगलाराम, सुखाराम पि० गीदाराम हिस्सा 1/5, मानाराम पुत्र काना हिस्सा 1/5, ईशरराम पुत्र दूला हिस्सा 1/5, हनुमान, छोटूराम पि० काना हिस्सा 2/5 कौम जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज था। खाता संख्या 23 खसरा नं० 237 में कॉलम संख्या 3 में माफी भोग मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास व

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

अहतमाम पुजारी घनश्याम (मुत्त्फी) व कॉलम संख्या 5 में डूंगा पुत्र भूरा कौम जाट सा0 देह मु0 कदीम खातेदार के नाम दर्ज था। नामा. संख्या 451 के स्वीकृत होने के पूर्व आराजी खसरा नं0 237 की खातेदारी मंदिर श्री रघुनाथजी भगवाना पि० डूंगा कोम जाट हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रुघा हिस्सा 1/2 कोम जाट व खसरा न0 236 की खातेदारी ईसरा, किशना, जैसा, भाना पि० दुला हिस्सा 2/5 ब0 हि0 ब0 ईसराराम पुत्र दुलाराम हि0 1/5 रामेश्वरलाल, रामदेवलाल, सुन्दरलाल पि० छोटूराम व बिरदी देवी बेवा छोटूराम ब0 हि0 ब0 हिस्सा 1/5 चन्द्रा, लाखा, श्रवण पि० हनुमान हिस्सा 1/5 कोम जाट सा. देह मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज थी। नामां. सख्या 451 के द्वारा खसरा नं० 237 में भगवाना पि० डूंगा कोम जाट हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रूघा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2 के बजाय माफी मंदिर श्री रघुनाथजी तुर्कियावास स्वीकार हुआ। खसरा नं0 236 में ईसराराम पुत्र दुलाराम हिस्सा 1/5 रामेश्वरलाल, रामदेवलाल, सुन्दरलाल पि० छोटूराम व बिरदी देवी बेवा छोटूराम हिस्सा 1/5 चन्द्रा, लाखा, श्रवण पि० हनुमान हिस्सा 1/5 ईशरा, किशना, जैसा, भाना पि० दूला हिस्सा 2/5 कोम जाट सा. देह के बजाय माफी मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास स्वीकार हुआ। मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में खसरा नं0 237 में डूंगा पुत्र भूरा कोम जाट व खसरा नं0 236 में मंगलाराम, सुखाराम पि० गीदा हिस्सा 1/5 भाना पुत्र काना हि0 1/5 ईशरराम पुत्र दूला हिस्सा 1/5 हनुमान, छोटूराम पि० काना हिस्सा 2/5 कोम जाट सा. देह के नाम दर्ज थी।

उक्त के संलग्न रेस्पोडेन्ट द्वारा मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29, जमाबन्दी संवत 2061–64 एवं नामान्तकरण संख्या 451 की प्रति प्रेषित की है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम गदडी, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 237, 236 जो राजस्व जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज रही खसरा नबर 237 जो संवत 2008 से 2029 की खतौनी बन्दोबस्त में कॉलम नम्बर 3 में माफी घीसा वल्द हरबक्श सा०देह तुर्कयावास दर्ज हैं। कॉलम नम्बर 4 में शंकर लाल, छीतर पिता लक्ष्मीनारायण वगैरह दर्ज है तथा कॉलम नम्बर 5 में डूँगा वल्द भूरा जाट दर्ज है। डूँगा वल्द भूरा जाट के फौत होने पर विरासत से अपीलान्ट संख्या 1 लगायत के पूर्वज भगवाना, रुघा पिता डूँगा काबिज काश्त रहे तथा धन्ना व पन्ना पुत्रान डूँगा द्वारा अपने भाई भगवाना व रूघा पुत्रान डूँगा के हक में अपने सम्पूर्ण हिस्से का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04/8/1978 को करने पर उपरोक्त आराजी के एकमात्र भगवाना उर्फ भगवान सहाय व रुघा पुत्र डूंगा खातेदार रहे तथा इनके फौत होने पर अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 7 निरन्तर काबिज काश्त रहे तथा अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। संवत 2057 से 2060 उक्त आराजीयात् माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी वाके तुर्कयावास के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजीयात डूंगा वल्द भूरा के देहान्त के बाद अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज भगवाना, रूघा पिता डूँगा के नाम कब्जे काश्त अनुसार कानूनन जांच पडताल कर दर्ज की गई। उक्त आराजीयात संवत 2008 से 2029 भू–प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में डूंगा वल्द भूरा के नाम अंकित थी। उसके बाद उसके वारिसान् के नाम व उनके देहान्त के पश्चात अपीलान्ट बतौर खातेदार काबिज काश्त है, तथा उक्त आराजीयात पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 286 खतौन बन्दोबस्त संवत

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(द्वितीय) जयपुर

2008 से 2029 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में मंगलाराम, सुखाराम पिता गीदा हिस्सा 1/5 मानाराम पिता कानाराम हिस्सा 1/5 ईसरा पुत्र दूला हिस्सा 1/5 हनुमान, छोटू पिता काना हिस्सा 2/5 जाति जाट सा०देह खातेदार रहे, मानाराम पुत्र काना के फौत होने पर विरासत से जीवण पुत्र माना हिस्सा 1/5 काबिज काश्त रहा तथा हनुमान पुत्र काना के फौत होने पर चन्दा, लाखा, श्रवण पुत्रान हनुमान हिस्सा 1/5 काबिज काश्त रहे, मंगलाराम, सुखाराम पुत्रान गीदा हिस्सा 1/5 व जीवण पुत्र माना हिस्सा 1/5 द्वारा विनिमय पत्र ईसरा, किशना, जैसा, भाना पिता दूला के हक में करने पर जो नामान्तकरण संख्या 396 दिनांक 23.07.2003 स्पष्ट है काबिज काश्त रहे, के उपरान्त संवत 2061 से 2084 के दौराने उपरोक्त आराजी का उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट के पूर्वजों के फौत होने पर अपीलान्ट अपीलाधीन भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त रहे। ईसरा पुत्र दूला के फौत होने पर अपीलान्ट संख्या 8 से 14 निरन्तर काबिज, किशना पुत्र दूला के फौत होने पर अपीलान्ट संख्या 24 से 27 अपीलान्ट संख्या 28 जैसा पुत्र दूला, व अपीलान्ट संख्या 29 भाना पुत्र दूला, छोटू पुत्र काना के फौत होने पर अपीलान्ट संख्या 15 से 18 व हनुमान पुत्र काना के फौत होने पर अपीलान्ट संख्या 19 से 21 निरन्तर काबिज काश्त रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण 451 दिनांक 28/7/2004 तस्दीक किया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 282/2 जो जागीर रिजम्पशन एक्ट धारा 9 के तहत डूंगा वल्द भूरा के नाम दर्ज की गई। मिसल बंदोबस्त संवत 2008 से 2029 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में डूंगा वल्द भूरा दर्ज हैं। इसके उपरान्त राजस्व जमाबन्दी रिकार्ड में डूंगा वल्द भूरा व उनके पश्चात अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज रही। उक्त वर्णित आराजीयात कभी भी माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज नही रही। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मन्दिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अपीलांट के पूर्वज खातेदार के रूप में दर्ज हुए। अपीलान्ट माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में मन्दिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित डूंगा वल्द भूरा को माफी रिज्मपशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी, वो ही भूमियों उनकी खातेदारी में अंकित की गई। परन्तु यहां पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह डूंगा वल्द भूरा व उसके उपरान्त उसके वारिसान एवं उनके बाद अपीलान्ट का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24/5/2007 एवं उसकी पालना में स्वयं राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06/01/2010 अनुसार उक्त निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती हैं और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नही करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नही किया जा सकता। जो भूमियां राजस्व अभिलेखों में खुदकाश्त की दर्ज रही थी, वे समस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। जब अपीलान्ट से पूर्वाधिकारी भूमि के काश्तकार थे तो पश्चातवर्ती इन्द्राज को गलत नही माना जा सकता। खुदकाश्त भूमि धारा 2(1) अनुसार जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

काश्त की जाती है "End cultivated personalnty" व खुदकाश्त मानी जावेगी। जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने के समय जो कृषक खेती कर रहे थे वे इस भूमि के खातेदार हो गये एवं माफी रिज्यूमशन के साथ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। इस प्रकारण में भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार हो गई एवं कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्ट से पूर्व के पूर्वधिकारी खातेदार हो गये। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24/5/2007 में निर्देश है कि गलत ढंग से कृषको का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरुद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती हैं, जो मात्र राजस्व लगान वसूल करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नही होते हैं, को नजरअन्दाज करते हुये अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारो की कृषि भूमि से उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर महरूम कर दिया, जो क्षेत्राधिकार बाहर होने के कारण प्रारंभतः ही प्रभावहीन है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 13/12/1991 में किसी भी बिन्दु में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित कर भूमि को माफी मन्दिर के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख नही हैं। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25/11/2011 में दिनांक 13/12/1991 को जारी पत्र के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू–प्रबंध अधिकारियों ने मूर्ति मन्दिर की खातेदारी भूमि में लिखे पुजारी अथवा सेवायतो के नाम हटा देने के साथ–साथ उन कृषको के खातेदारी अंकन को विलोपित कर दिया, जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुये थे। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के गरीब अक्षिशित व्यक्ति हैं। जिन्होंने उक्त आराजीयात के रिकार्ड बाबत् हल्का पटवारी से दिनांक 12/9/2024 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनके नाम के स्थान पर माफी मन्दिर मनोहर जी सा.देह का नाम दर्ज होने का तथ्य जाहिर हुआ। जिस पर अपीलान्ट द्वारा प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश की गई। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नहीं है तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नही देखा जाता जहां गैरकानूनी तरीको से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया हों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानो का उल्लघंन हुआ, जो उक्त प्रकरण में हुआ हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 451 आदेश दिनांक 28/7/2004 को अपास्त किया जावे।

सुयोग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 374, आर. आर. टी. 2004 (1) पेज 238, आर.आर.टी 2005 (1) पेज 228, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 649, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1041, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 829, आर.आर.टी. 2006–07 पेज 443 के न्यायिक दृष्टांतों का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में खाता संख्या 24 आराजी खसरा नं0 236 रकबा 3 बीघा के कॉलम संख्या 3 में माफी भोग मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास व अहतमाम पुजारी घनश्याम (मुत्वफी) व कॉलम संख्या 5 में मंगलाराम, सुखाराम पि0 गीदाराम हिस्सा 1/5, मानाराम पुत्र काना हिस्सा 1/5, ईशरराम पुत्र दूला हिस्सा 1/5, हनुमान, छोटूराम पि0 काना हिस्सा 2/5 कौम जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज था। खाता संख्या 23 खसरा नं0 237 में कॉलम संख्या 3 में माफी भोग मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास व अहतमाम पुजारी

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रथम) जयपुर

घनश्याम (मुत्वफी) व कॉलम संख्या 5 में डूंगा पुत्र भूरा कौम जाट सा0 देह मु0 कदीम खातेदार के नाम दर्ज था। नामा. संख्या 451 के स्वीकृत होने के पूर्व आराजी खसरा नं0 237 की खातेदारी मंदिर श्री रघुनाथजी भगवाना पि० डूंगा कोम जाट हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रुघा हिस्सा 1/2 कोम जाट व खसरा न0 236 की खातेदारी ईसरा, किशना, जैसा, माना पि० दुला हिस्सा 2/5 व0 हि0 व0 ईसराराम पुत्र दुलाराम हि0 1/5 रामेश्वरलाल, रामदेवलाल, सुन्दरलाल पि० छोटूराम व बिरदी देवी बेवा छोटूराम व0 हि0 व0 हिस्सा 1/5 चन्दा, लाखा, श्रवण पि० हनुमान हिस्सा 1/5 कोम जाट सा. देह मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज थी। नामां. संख्या 451 के द्वारा खसरा नं० 237 में भगवाना पि० डूंगा कोम जाट हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रूघा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2 के बजाय माफी मंदिर श्री रघुनाथजी तुर्कियावास स्वीकार हुआ। खसरा नं0 236 में ईसराराम पुत्र दुलाराम हिस्सा 1/5 रामेश्वरलाल, रामदेवलाल, सुन्दरलाल पि० छोटूराम व बिरदी देवी बेवा छोटूराम हिस्सा 1/5 चन्द्रा, लाखा, श्रवण पि० हनुमान हिस्सा 1/5 ईशरा, किशना, जैसा, माना पि० दूला हिस्सा 2/5 कोम जाट सा. देह के बजाय माफी मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास स्वीकार हुआ। उक्त नामान्तरण मुताबिक आदेश जिला कलक्टर जयपुर व उपतहसील रेनवाल की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्टया किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।"

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत अपील तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 451 दिनांक 28/7/2004 के विरूद्ध विचाराधीन है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि ग्राम गदडी, तहसील किशनगढ रेनवाल की अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 236, 237 अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज रही जिसे अपीलाधीनं नामान्तरण संख्या 451 द्वारा माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पत्रावली में प्रेषित जवाब दिनांक 06/12/2024 में अंकित है कि "मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में खाता संख्या 24 आराजी खसरा नं0 236 रकबा 3 बीघा के कॉलम संख्या 3 में माफी भोग मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास व अहतमाम पुजारी घनश्याम (मुत्वफी) व कॉलम संख्या 5 में मंगलाराम, सुखाराम पि0 गीदाराम हिस्सा 1/5, मानाराम पुत्र काना हिस्सा 1/5, ईशरराम पुत्र दूला हिस्सा 1/5, हनुमान, छोटूराम पि0 काना हिस्सा 2/5 कौम जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज था। खाता संख्या 23 खसरा नं0

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(द्वितीय) जयपुर

237 में कॉलम संख्या 3 में माफी भोग मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास व अहतमाम पुजारी घनश्याम (मुत्वफी) व कॉलम संख्या 5 में डूंगा पुत्र भुरा कौम जाट सा0 देह मु0 कदीम खातेदार के नाम दर्ज था। नामा0 संख्या 451 के स्वीकृत होने के पूर्व आराजी खसरा नं0 237 की खातेदारी मंदिर श्री रघुनाथजी भगवाना पि० डूंगा कोम जाट हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रुघा हिस्सा 1/2 कोम जाट व खसरा नं0 236 की खातेदारी ईसरा, किशना, जैसा, माना पि० दुला हिस्सा 2/5 ब0 हि0 ब0 ईसराराम पुत्र दुलाराम हि0 1/5 रामेश्वरलाल, रामदेवलाल, सुन्दरलाल पि० छोटूराम व बिरदी देवी बेवा छोटूराम ब0 हि0 ब0 हिस्सा 1/5 चन्द्रा, लाखा, श्रवण पि० हनुमान हिस्सा 1/5 कोम जाट सा. देह मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज थी। नामां. सख्या 451 के द्वारा खसरा नं० 237 में भगवाना पि० डूंगा कोम जाट हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रूघा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2 के बजाय माफी मंदिर श्री रघुनाथजी तुर्कियावास स्वीकार हुआ। खसरा नं0 236 में ईसराराम पुत्र दुलाराम हिस्सा 1/5 रामेश्वरलाल, रामदेवलाल, सुन्दरलाल पि० छोटूराम व बिरदी देवी बेवा छोटूराम हिस्सा 1/5 चन्द्रा, लाखा, श्रवण पि० हनुमान हिस्सा 1/5 ईशरा, किशना, जैसा, माना पि० दूला हिस्सा 2/5 कोम जाट सा. देह के बजाय माफी मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास स्वीकार हुआ। "

प्रस्तुत जवाब के संलग्न मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त जमाबंदी के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में "माफी भोग मंदिर श्री रघुनाथजी वाके तुर्कियावास" तथा खसरा नम्बर 236 के संबंध में कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में "मंगलाराम, सुखाराम पि0 गीदाराम हिस्सा 1/5, मानाराम पुत्र काना हिस्सा 1/5, ईशरराम पुत्र दूला हिस्सा 1/5, हनुमान, छोटूराम पि0 काना हिस्सा 2/5 कौम जाट सा0 देह खातेदार" दर्ज है एवं खसरा नम्बर 237 के संबंध में कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में "डूंगा वल्द भूरा जाति जाट सा0 देह मु0 कदीम खातेदार" अंकित है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2032–2064 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2013–2016 के खसरा नम्बर 236 में काश्तकार के कॉलम में धन्ना, पन्ना, भगवाना, रूघा पि0 डूंगा जाट सा0 देह तथा खसरा नम्बर 237 में काश्तकार के कॉलम में मंगलाराम, सुखाराम पि0 गीदाराम हिस्सा 1/5, मानाराम पुत्र काना हिस्सा 1/5, ईशरराम पुत्र दूला हिस्सा 1/5, हनुमान, छोटूराम पि0 काना हिस्सा 2/5 कौम जाट का नाम अंकित हैं।

इससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी तथा खसरा नम्बर 236 मंगलाराम, सुखाराम, मानाराम, ईसरराम, हनुमान, छोटूराम के नाम खातेदारी दर्ज थी एवं खसरा नम्बर 237 डूंगा की काश्तकारी भूमि थी जो विरासतन अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज हुई। न्यायिक नजीर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार इस प्रकरण पर चस्पा होता है जिसमें निर्णय दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप में प्रदत्त जागीर की भूमि, जिसमें मंदिर खुदकाश्त नहीं है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या क्रमांक प.2 (4)राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13.12.91 के किसी भी बिन्दु में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित कर भूमि को मन्दिर

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

माफी के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 3(2) राज–6/07/19 दिनांक 25–11–11 में दिनांक 13.12.91 को जारी पत्र क्रमांक प 2(4) राज–4/98/37 के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू0 प्रबंध अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मन्दिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ–साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा–9 के अन्तर्गत वैध रुप से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रुप से गलत तथा परिपत्र दिनांक 31.12.91 की मंशा के विरुद्ध की गई थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31.12.91 की मंशा के विपरीत वैध काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नही था। इस प्रकार पत्र दिनांक 31/12/91 की मंशा के विपरीत वैध काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था। साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24/05/2007 में यह व्यवस्था दी गई है कि जागीरी के अधिकरण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा कादीमदार आदि के नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य होने के कारण ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेंगे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश नामान्तरण संख्या 451 दिनांक 28/7/2004 सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है तथा खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 451 आदेश दिनांक 28/7/2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर